प्रकरण नं. ___ 3/2016 प्रा. पत्र

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14-3-16

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प केतोहपुरा पर
पेश हुई। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम बाद
तामील / हुक्म तामील प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थीगण
उपस्थित नहीं। पत्रावली वर्तमान में बहस की
स्टेज पर नियत है। प्रार्थना पत्र में अंकित
तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय
किया जा सकता है क्योंकि प्रकरण बहस पूरा
किया जा सकता है, क्योंकि बहस के बाबत
होकर काफी वक्त लिया है बहस के बाबत
है अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों
के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना आवश्यक है।
प्रार्थना पत्र मय पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र
में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर गहन
अध्ययन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम मुद्दा
पटवार हलका केतोहपुरा तहसील मांडल में स्थित
होकर खाता आराजी नं. 3041। रकबा 12 बीघा
3 बिस्वा दर्ज रेकार्ड होकर जमाबन्दी 2023 ता 2027
लगायत प्रस्तुत राजस्व जमाबन्दी की नकल
प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल
खसरा 2023 से 2027 की फोटो प्रति से होती
है। खाता आराजी नं. 3041। रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा
है हाल नम्बर 603 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा /
604 रकबा 9 बिस्वा गै. मु. रास्ता कायम है
है जिसकी तस्दीक प्रस्तुत मिलान खसरा मौकाफार्म
से होती है हाल आराजी नं. 604 रकबा 9 बिस्वा
गै. मु. रास्ता से दर्ज होकर बिलानाम है। जिसकी
तस्दीक प्रस्तुत जमाबन्दी की नकल खाता 2054
से 2057 की फोटो प्रति से होती है, प्रस्तुत दस्तावेजों
व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मद्देनजर
प्रार्थीगण हाल आराजी नं. 604 रकबा 9 बिस्वा
खाते के बाबत इस्तजामी निर्णय चाहते हैं।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका... हुक्म ... में ...
	है। जबकि हाल खसरा नं. 604 रकबा 9 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गै. मु. रास्ता होकर बिलानाम दर्ज है। जिस बाबत विपक्षीगण ने भी प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रस्तुत जवाब में बयान किया है। खसरा नं० 604 मौके पर रास्ता है। जिस पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना जनहित में न्याय हित में नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण ने हाल खसरा नं. 604 रकबा 9 बिस्वा भूमि पर कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतः :: आदेश :: प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी एवं \\ पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल	